



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 31 अक्टूबर, 2017

कार्तिक 9, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग

संख्या 717/91-2017

लखनऊ, 31 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

प०आ०-509

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 2198/एक-14-2010-33(100)-2010 टी०सी०-III, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या-49 की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

अनुसूची

क्र०सं०	विभाग का नाम एवं अधिसूचित सेवाओं की संख्या	सेवायें	अभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिये नियत समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	श्रम विभाग	1-उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिनियम, 1962 के अधीन अधिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन एवं नवीनीकरण	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	30 दिवस	सहायक श्रम आयुक्त	15 दिवस	उप श्रमायुक्त	15 दिवस
		2-ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अधीन अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण	क्षेत्रीय उप/सहायक श्रमायुक्त	30 दिवस	अपर श्रमायुक्त, मुख्यालय	15 दिवस	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	15 दिवस
		3-ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अधीन संविदाकार को अनुज्ञप्ति दिया जाना और उसका नवीनीकरण किया जाना	क्षेत्रीय उप/सहायक श्रमायुक्त	30 दिवस	अपर श्रमायुक्त, मुख्यालय	15 दिवस	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	15 दिवस
		4-अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के अधीन अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण और संविदा कार की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	क्षेत्रीय उप/सहायक श्रमायुक्त	30 दिवस	अपर श्रमायुक्त, मुख्यालय	15 दिवस	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	15 दिवस
		5-कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कारखानों के लिए मानचित्र का अनुमोदन और कारखानों के प्रयोजनार्थ भवन परिसरों के उपयोग का अनुमोदन	उप/सहायक निदेशक कारखाना	30 दिवस	निदेशक कारखाना	15 दिवस	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	15 दिवस

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	श्रम विभाग	6-कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन अनुज्ञापन	उप/सहायक निदेशक कारखाना	30 दिवस	निदेशक कारखाना	15 दिवस	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	15 दिवस
		7-कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कारखानों के लिए अनुज्ञापन का नवीनीकरण	उप/सहायक निदेशक कारखाना	60 दिवस	निदेशक कारखाना	15 दिवस	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	15 दिवस
		8-ब्यायलर अधिनियम, 1923 के अधीन ब्यायलर विनिर्माताओं का अनुमोदन तथा उनका नवीनीकरण	निदेशक, ब्यायलर्स	30 दिवस	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	15 दिवस	प्रमुख सचिव, श्रम	15 दिवस
		9-ब्यायलर अधिनियम, 1923 के अधीन ब्यायलर परिनिर्माताओं का अनुमोदन तथा उनका नवीनीकरण	निदेशक, ब्यायलर्स	30 दिवस	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	15 दिवस	प्रमुख सचिव, श्रम	15 दिवस
		10-ब्यायलर अधिनियम, 1923 के अधीन ब्यायलरों का रजिस्ट्रीकरण और उनका नवीकरण किया जाना	निदेशक, ब्यायलर्स	30 दिवस	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	15 दिवस	प्रमुख सचिव, श्रम	15 दिवस
51	औद्योगिक विकास विभाग 1-(यूपी एस आई डी0सी0 (03)	1-औद्योगिक भूमि का आवंटन	क्षेत्रीय प्रबन्धक	21 दिवस	मुख्य प्रबन्धक (औद्योगिक)	30 दिवस	प्रबन्ध निदेशक	30 दिवस
		2-25 एकड़ तक में औद्योगिक भवन के मानचित्र का अनुमोदन	क्षेत्रीय प्रबन्धक	15 दिवस	प्रभारी ए0टी0पी0	30 दिवस	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	30 दिवस
		3-25 एकड़ से अधिक के औद्योगिक भवन के मानचित्र का अनुमोदन	क्षेत्रीय प्रबन्धक	30 दिवस	प्रभारी ए0टी0पी0	30 दिवस	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	30 दिवस
	2-(ग्रेटर नोएडा)	1-भूमि आवंटन पत्र	उप महाप्रबन्धक (उद्योग)	45 दिवस	अपर मुख्य कार्य पालक अधिकारी	10 दिवस	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	07 दिवस
		2-आवंटी की मृत्यु के पश्चात भूमि नामान्तरण	उप महाप्रबन्धक (उद्योग)	90 दिवस	अपर मुख्य कार्य पालक अधिकारी	30 दिवस	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	15 दिवस

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	2-(ग्रेटर नोएडा)	3-क्रियाशील प्रमाण-पत्र जारी किया जाना	उप महाप्रबन्धक (उद्योग)	30 दिवस	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	15 दिवस	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	15 दिवस
		4-अभ्यर्पण प्रार्थना-पत्रों का अनुमोदन	उप महाप्रबन्धक (उद्योग)	30 दिवस	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	15 दिवस	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	15 दिवस
		5-बन्धक प्रमाण-पत्र जारी किया जाना	उप महाप्रबन्धक (उद्योग)	30 दिवस	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	15 दिवस	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	15 दिवस
		6-अदेयता प्रमाण-पत्र जारी किया जाना	उप महाप्रबन्धक (उद्योग)	30 दिवस	महाप्रबन्धक (वित्त)	10 दिवस	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	10 दिवस
		7-मानचित्र की स्वीकृति	उप महाप्रबन्धक (नियोजन)	45 दिवस	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	21 दिवस	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	21 दिवस
		8-अभ्यर्पण प्रमाण-पत्र	उप महाप्रबन्धक (नियोजन)	70 दिवस	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	21 दिवस	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	21 दिवस
		9-पेयजल/मलनाली संयोजन	महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (परियोजना)	15 दिवस	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	10 दिवस	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	10 दिवस
	3-नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा)	1-योजना के बन्द होने के पश्चात पात्र आवेदकों के लिए आवंटन पत्र जारी किया जाना	विभागाध्यक्ष वर्तमान में विशेष कार्याधिकारी	1-पाँच एकड़ तक की माप के भूखण्ड क्षेत्र के लिए-45 दिवस 2-पाँच एकड़ से अधिक माप के भूखण्ड क्षेत्र के लिए-21 दिवस	उप कार्यपालक अधिकारी अथवा समकक्ष	30 दिवस	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	45 दिवस
		2-मानचित्र अनुमोदन (निर्माण परमिट)	मुख्य वास्तुकला नियोजक	1-आवासीय भूखण्ड 450 वर्गमी0 तक उसी दिन 2-450 वर्गमी0 से अधिक-60 दिन 3-औद्योगिक भूखण्ड 1000 वर्गमी0 तक के लिए (मानित अनुमोदन)	उप कार्यपालक अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी	30 दिवस	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	45 दिवस

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	3-नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा)	2-मानचित्र अनुमोदन (निर्माण परमिट)	मुख्य वास्तुकला नियोजक	4-समस्त अन्य श्रेणियों में 60 दिन संशोधित समय-सीमा (क) 1000 वर्गमी0 तक (तत्काल अनुमोदन) (ख) 2500 वर्गमी0 से अधिक एवं 40000 वर्गमी0 तक (15 दिन) (ग) 40000 वर्गमी0 से अधिक (30 दिन)	उप कार्यपालक अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी	30 दिवस	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	45 दिवस
		3-समापन/ अधिभोग प्रमाण- पत्र	मुख्य वास्तुकला नियोजक	समस्त श्रेणियां 90 दिन	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी	30 दिवस	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	45 दिवस

आज्ञा से,
एस0 एन0 शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 717/XCI-2017, dated October 31, 2017 for general information:

No. 717/XCI-2017
Dated Lucknow, October 31, 2017

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the following amendment in Government notification no. 2198/1-14-2010-33(100)-2010 T.C.-III, dated January 15, 2011 as amended from time to time:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification in the Schedule after entries at serial number. 49 the following entries shall with effect from the date of publication of this notification in the Gazette column wise be inserted namely :-

63

SCHEDULE

Sl. no.	Name of the Departments	Services	Designated officer	Stipulated time limits for Services	First Appeal Officer	Stipulated time limits for disposal of first Appeal officer	Second appellate authority	Stipulated time limits for disposal of Second Appeal officer
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Labour Department	Registration and renewal of establishments under U.P. Shop and Commercial Establishment Act, 1962	Labour enforcement officer	30 days	Assistant Labour Commissioner	15 days	Deputy Labour Commissioner	15 days
		2-Registration of establishments under Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970	Regional Deputy/ Assistant Labour commissioner	30 days	Additional Labour Commissioner, head quarter	15 days	Labour Commissioner, U.P.	15 days
		3-Licensing and renewal of License contractor under Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970	Regional Deputy/ Assistant Labour Commissioner	30 days	Additional Labour Commissioner, head quarter	15 days	Labour Commissioner, U.P.	15 days
		4-Registration of establishments and renewal of License of contractor under Inter state Migrant Workman Act, 1979	Regional Deputy/ Assistant Labour Commissioner	30 days	Additional Labour Commissioner, head quarter	15 days	Labour Commissioner, U.P.	15 days
		5-Approval of map for factories and approval of using building premises for the purpose of factories under factories Act, 1948	Deputy/ Assistant Director of factories	30 days	Director of factories	15 days	Labour Commissioner, U.P.	15 days

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Labour Department	6-Licensing of under factories Act, 1948	Deputy/ Assistant Director of factories	30 days	Director of factories	15 days	Labour Commissioner, U.P.	15 days
		7-Renewal of License for factories under Factories Act, 1948	Deputy/ Assistant Director of factories	60 days	Director of factories	15 days	Labour Commissioner, U.P.	15 days
		8-Approval and renewal of Voiler manufacturer under Voiler Act, 1923	Director of voiler	30 days	Labour Commissioner, U.P.	15 days	Principal Secretary Labour	15 days
		9-Approval and renewal of voiler erector under Voiler Act, 1923	Director of voiler	30 days	Labour Commissioner, U.P.	15 days	Principal Secretary Labour	15 days
		10-Registration and renewal of voiler under Voiler Act, 1923	Director of voiler	30 days	Labour Commissioner, U.P.	15 days	Principal Secretary Labour	15 days
51	Industrial development department 1-(U.P. S.I.D.C.)	1-Industrial Land allotment	Regional Manager	21 days	Chief-Manager (A-I)	30 days	Manager Director	30 days
		2-Industrial building map approval till 25 acres	Regional Manager	15 days	Incharge ATP	30 days	Chief Executive Officer	30 days
		3-Industrial building map approval more than 25 acres	Regional Manager	30 days	Incharge ATP	30 days	Chief Executive Officer	30 days
	2-(Greater Noida)	1-Land Allotment letters	Deputy General Manager (Industries)	45 Working days	ACEO	10 working days	CEO	07 working days
		2-Land of mutation after death of allottee	Deputy General Manager (Industries)	90 Working days	ACEO	30 working days	CEO	15 working days

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-(Greater Noida)	3-Issued of Activated certificate	Deputy General Manager (Industries)	30 Working days	ACEO	15 working days	CEO	15 working days
		4-Sanctions of surrender certificates	Deputy General Manager (Industries)	30 Working days	ACEO	15 working days	CEO	15 working days
		5-Issued of mortgage certificate	Deputy General Manager (Industries)	30 Working days	ACEO	15 working days	CEO	10 working days
		6-Issued of Nodues certificate	Deputy General Manager (Industries)	30 Working days	G. Manager Finance	10 working days	CEO	10 working days
		7-Accep- tance of map	Deputy General Manager Planning	45 Working days	ACEO	21 working days	CEO	21 working days
		8-Surrender certificate	Deputy General Manager Planning	70 Working days	ACEO	21 working days	CEO	21 working days
		9-Drinking water/sever connectoin	General Manager /Deputy General Manager project	15 Working days	ACEO	10 working days	CEO	10 working days
	3-(Noida)	1-Issue of allotment letter to eligible applicants after closure of scheme	Head of Department at Present Officer of Special Duty	1-45 Working days of plots area measuring up to five acres 2- 21 working days of plots area measuring above five acres	Deputy Chief Executive Officer or Equiva- lent	30 working days	Additional Chief Executive officer	45 working days
		2-Map sanction (construction permit)	CAP	1-Reside- ntial plots up to 450 sq.-m. same day	Deputy CEO or Equiva- lent Officer	30 working days	ACEO	45 working days



1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	3-(Noida)			2-More than 450 sq.-m.- 60 days 3-Industrial plots upto 1000 sq.-m. (deemed sanction) 4-All other category 60 days Revised time limit a- upto 1000 sq.-m. (Instant sanction) b-above 2500 sq.-m. upto 40000 sq.-m. (15 days) c-above 40000 sq.-m. (30 days)				
		3-Completion/ Occupancy Certificate	CAP	All category 90 days	Deputy CEO or Equivalent Officer	30 working days	ACEO	45 working days

By order,
S. N. SHUKLA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 559 राजपत्र (हि०)-2017-(1339)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० लोक सेवा प्रबन्धन-2017-(1340)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।

